

नम्बर २०२२  
अहमदाबाद को  
की तामील में जो

# उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

संख्या :- 293 / 2022

निर्णय दिनांक :- 28/8/2022

प्रार्थना पत्र :-

1. शंकर सिंह पुत्र गिरधर सिंह जाति राजपूत निवासी जूनिया तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. शोभाग सिंह पुत्र गिरधर सिंह जाति राजपूत निवासी जूनिया तहसील दूनी जिला टोंक राज0

प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला-टोंक (राज.)

-अप्रार्थी पक्ष-

उपस्थित :-

श्री अजित सिंह  
अधिवक्ता प्रार्थीगण


तहसीलदार  
दूनी

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट  
आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 487 ख0नं0 1615 रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम जूनिया तहसील दूनी जिला-टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाशत की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है व पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार सीमा विवाद नहीं है।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 में दर्ज आराजी खाता संख्या 487 ख0नं0 1615 रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम जूनिया वाके ग्राम जूनिया की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु सम्बंधित तहसीलदार को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कौंस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली